# कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263 001 (उतराखण्ड)

**KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND), INDIA** Office: 05942-236856 (Extn-328), Fax: 05942-235213 Email:caoresearchku@gmail.com & sriccku@gmail.com,
Website:www.kunainital.ac.in

**Research Section**

पत्रांक / केयू / आर0डी0सी0 / 2024 / मैमो दिनांक 17–02–2024

सेवा में,

1– संकायाध्यक्ष, कला, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल – सदस्य

2– संकायाध्यक्ष, विज्ञान डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल – सदस्य

3– प्रो0 अर्चना श्रीवास्तव, समाजशास्त्र विभाग, डी0स0बी0 परिसर, नैनीताल – सदस्य

4– प्रो0 बीना पाण्डेय, जैव प्रोद्यौविकी विभाग, जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल – सदस्य

5– प्रो0 युगल जोशी, सूचना वैज्ञानिक, केन्द्रीय पुस्तकालय, कु0वि0वि0 नैनीताल – सदस्य

6– डा0 तीरथ कुमार उपाध्याय, भेषज विभाग, जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल – सदस्य

महोदय / महोदया,

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार निदेशक, आर0डी0सी0 की अध्यक्षता में Research Ethics Committee (REC) का गठन किया गया है। उक्त समिति के अध्यक्ष एवं उपरोक्त सम्मानित सदस्यो की उपस्थिति में दिनांक 21–2–2024 को 1:00 बजे से आर0डी0सी0 अनुभाग में एक बैठक आहूत की गई है।

कृपया उक्त बैठक में प्रतिभाग हेतु आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

भवदीय,

निदेशक, आर0डी0सी0

No. 25/233/2009 - AWD
Government of India
Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
Department of Animal Husbandry and Dairying
O/o Committee for the purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals
(CPCSEA)
*****

Delhi Milk Scheme Complex,
Shadipur, Delhi – 110008
Date: 06.07.2022

To,

Dr. Archana Negi Sah, Chairman, IAEC
Department of Pharmacy Kumaon University
P.O. Tallital, Nainital - 263 002, Uttarakhand
Email: archanansah@gmail.com
Mobile: 8650280275

Subject: Renewal of Registration and Reconstitution of Institutional Animals Ethics Committee (IAEC)- regarding

Madam,

The registration of Animal House Facility of your establishment with CPCSEA has been renewed **for a period of five years from the date of issue of this letter.**

2. The new registration number of Animal House Facility of your establishment is **490/GO/ReBi/S/01/CPCSEA for Research for Education purpose and in house breeding of small animals**. Henceforth, the new registration number may kindly be quoted in all your future correspondence with this office.

3. The CPCSEA has accepted the following members recommended by the establishment.

| Name of the IAEC Members | Designation in IAEC |
|---|---|
| 1) Dr. Archana Negi Sah | Biological Scientist, Chairperson |
| 2) Prof. Satpal Singh Bisht | Scientist from different biological discipline |
| 3) Dr. Anita SIngh | Scientist from different biological discipline |
| 4) Dr. Tirath Kumar | Scientist Incharge of Animal House Facility, Member Secretary |
| 5) Dr. P.C.Kandpal | Veterinarian |

4. CPCSEA hereby nominates the following members to the Institutional Animals Ethics Committee (IAEC) of your establishment:

| etails of Nominee(s) | Nominated as |
|---|---|
| 1) Dr. Swati Bhoj<br>Veterinary Officer Government Veterinary Hospital, NTD, Almora – 263 601<br>Contact No :09411541528<br>Email :swatibhoj@gmail.com | Main Nominee |
| 2) Shri Neeraj Kumar<br>Associate Professor, Devsthali Vidyapeeth College of Pharmacy, Near IBP Petrol Pump, Lalpur, Kichha Road, District – Udham Singh Nagar, Rudrapur, Uttarakhand – 263148<br>Contact No :9897325740<br>Email :neerajsitm@yahoo.com | Link Nominee |

Contd...

| | |
|---|---|
| 3) Dr. Disha Pant<br>Assitant Professor, Dept of Pharmacology & Toxicology, College of Veterinary Sciences, G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar – 263145, Uttarakhand<br>Contact No :9411322701<br>Email :disha32083@gmail.com | Scientist from outside the Institute |
| 4) Mr. Rajeev Kumar<br>Associate Professor, Devsthali Vidyapeeth College of Pharmacy, Near IBP Petrol Pump, Lalpur, Kichha Road, District - Udham Singh Nagar, Rudrapur,<br>Uttarakhand -263148<br>Contact No :9528204982<br>Email :rverma.rajeev@gmail.com | Socially Aware Nominee |

(Please note that any change in IAEC members can be made only with prior approval of CPCSEA.)

5. The IAEC is valid for a period of five years and is coterminous with renewed period of registration. IAEC is required to be reconstituted at the time of renewal of registration as per CPCSEA guidelines.

6. You are requested to convene the meeting of the re-constituted IAEC within a period of 30 days and upload the same on the website of the CPCSEA.

7. It is stated that only above approved IAEC members shall sign, with date, on the attendance sheet of the IAEC meetings, and decisions will be taken only in meetings where quorum is complete. The quorum for holding IAEC meeting is six (6), and Main Nominee, Scientist from outside the Institute and Socially aware nominee must be present in such meetings. Link Nominee can attend in case main nominee conveys his unavailability in writing to the chairman IAEC. However, Link Nominee should be invited once in a year to update him/ her about the activities of IAEC. Any decision taken in the meetings of IAEC without quorum shall be considered invalid.

8. It is also to inform you that before commencing any research on large animals you are required to send research protocols with due recommendation of IAEC to CPCSEA for further approval (procedure for submission of Research Protocols is available on the website of CPCSEA).

Yours sincerely,

(Dr. S. K. Dutta)
Member Secretary (CPCSEA)

Copy for necessary action to: Nominees of CPCSEA.

The Main Nominee is requested to ensure that the IAEC meetings are held regularly as stipulated in the SOP of CPCSEA and submit the Annual Inspection Reports of the Animal House Facility regularly on the Website of CPCSEA.

ishuddhi.inflibnet.ac.in

Shodh शुद्धि
Enhancing Research Quality

# Categorywise Member Institutions

Home / Categorywise Member Institutions

## Member Institutes under **State Public University** Category

Back

Search: Kumaun

| Institute Name | State | Coordinator Name | Designation | Email |
|---|---|---|---|---|
| Kumaun University, Nainital | Uttarakhand | Yougal Ch. Joshi | Information Scientist | ycjoshi@yahoo.com |
| **Institute Name** | **State** | **Coordinator Name** | **Designation** | **Email** |

Showing 1 to 1 of 1 entries (filtered from 381 total entries)

Previous 1 Next

COPYRIGHT © 2023 ShodhShuddhi | INFLIBNET Centre, Gandhinagar, Gujarat.

*Manoj Kumar K.*
*Scientist E (CS)*


07.06.2022

Dear University Coordinators,

Greetings from INFLIBNET Centre!

We are happy to announce that the service of PDS/ShodhShuddhi (i.e. Ouriginal erstwhile URKUND) is extended for one more year to all its Member Institutions under the initiative of the Ministry of Education (MoE), Govt. of India from 1st June 2022 to 31st May 2023. Please note that we have allocated quota of documents for similarity check based on the usage of first (2019-2020) and second (2021-2022) year usage. Due to budgetary constraints, the Centre is forced to adhere to fix the allocation to suit the budget. If there is more requirement, kindly provide us with the required data through Registrar or Vice-Chancellor/Director on the university/institute letterhead for requesting the same @ pds.help@inflibnet.ac.in. Alternatively, please submit the data of faculty members and research scholars for exact distribution of the documents and you may also help us to provide with PG students data for future policy.

Please fill the survey form below weblink:

https://forms.gle/NUKtgbsTQKDbhT5VA

In case of any further inquiry, please feel free to write or contact the undersigned.

With regards,

Your's sincerely,

7/6/22

(Manoj Kumar K)

Manoj Kumar K
Scientist-E (CS)
INFLIBNETCentre,
An Inter University Centre of UGC
Infocity, Gandhinagar-382007. Gujarat

INFLIBNET CENTRE AN IUC OF UGC GANDHINAGAR

**P.S:** Please note that if you are still providing the Ouriginal access to UG/PG students, kindly stop the access to them, as such UG/PG students are not eligible as per the guidelines at present. And, we are forced to restrict the units/member institutions to anyone who is violating with the norms.

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल–263001 (उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND)
Research & Development Cell (RDC)
☎Office: 05942-235213, Fax: 05942 -235213, E-mail: sriecku@gmail.com

## दि: 25.08.2022 को आहूत शोध सलाहकार समिति (RAC) की बैठक में प्रस्तावित विभिन्न मदों से सम्बंधित निर्णय:

| | |
|---|---|
| मद सं0 1 | विगत शोध सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की पुष्टि। |
| टिप्पणी – | विगत शोध सलाहकार समिति की बैठक दि;25.11.2020 को आहुत की गयी थी । उसका कार्यवृत्त कार्य परिषद के अनुमोदन के उपरांत समिति के सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका है । इस कार्यवृत्त को वि.वि. की वेबसाइट पर भी अपलोड किये जाने की अनुशंसा इस बैठक में की गयी । |
| मद सं0 2 | वर्ष 2022 से कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल के कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा विज्ञान संकाय के शोधार्थी को प्रो0 डी0 डी0 पन्त / प्रो0 के0 एस0 वल्दिया / प्रो0 वाई0 पी0 एस0 पांगती छात्रवृत्ति दिये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी – | इस छात्रवृत्ति हेतु कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, तकनीकी एवं प्रबंध संकायों में प्रत्येक संकाय के उच्चतम अंक प्राप्त 01 अभ्यर्थी को 02 वर्ष तक रु.24000.00 की वार्षिक धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जायेगी । यह छात्रवृत्ति वित्त समिति/ कार्यपरिषद् के अनुमोदन के उपरांत शुरु की जायेगी । कुल 06 शोधार्थियों को यह छात्रवृत्ति प्राप्त होगी । यह छात्रवृत्ति मेरिट के आधार पर देय होगी । इस हेतु एक अलग खाता खोलकर 15 लाख रुपया इस छात्रवृत्ति हेतु रखा जायेगा । |
| मद सं0 3 | प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्सवर्क की परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य किये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित<br>प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्सवर्क की परीक्षा में विद्यार्थियों को 03 प्रश्न–पत्र पढ़ाये जाते है जो निम्नवत् हैं – Research Methodology, Recent Advances in the Subject & Dissertation. प्रथम प्रश्न पत्र की उपस्थिति संकायाध्यक्ष द्वारा नामित कोआर्डिनेटर द्वारा तथा द्वितीय पेपर की उपस्थिति विभागाध्यक्ष तथा तृतीय प्रश्नपत्र की उपस्थिति शोध निर्देशक के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित की जाती है। समिति द्वारा प्रत्येक प्रश्न पत्र में अनिवार्य रूप से 75 प्रतिशत उपस्थिति की दशा में ही विद्यार्थी प्री0 पी0 एच0 कोर्सवर्क की परीक्षा में सम्मिलित हो पायेगा तथा उपस्थिति संकायाध्यक्ष के माध्यम से ही विश्वविद्यालय को प्रेषित की जानी होगी। |
| मद सं0 4 | प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्सवर्क की परीक्षा में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा द्वितीय प्रश्न पत्र में दिये गये विकल्प के निस्तारण पर विचार। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित<br>प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्सवर्क की परीक्षा में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा द्वितीय प्रश्न पत्र में दिये गये विकल्प को निरस्त करते हुए द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम Recent Advances in Subject ही रखा जा सकता है। |

| | |
|---|---|
| मद सं0 5 | वर्ष 2022 से शोध कार्य हेतु 63 वर्ष की आयु पार कर चुके प्राध्यापकों को शोधार्थी आवंटित न किये जाने के सम्बन्ध में विचार। |
| टिप्पणी – | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी विद्यार्थी को शोधकार्य पूर्ण किये जाने हेतु न्यूनतम अवधि 03 वर्ष निर्धारित की गयी है। अतः 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने की दशा में किसी प्राध्यापक को शोधार्थी आबंटित नहीं किये जाएंगे । और इसके अनुपालन का दायित्व विभागाध्यक्ष एवं संयोजक का होगा और इसकी निगरानी शोध एवं विकास कोष्ठ द्वारा की जायेगी । |
| मद सं0 6 | पी0 एच–डी0 की मौखिकी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदेशों के अनुपालन में ऑनलाईन/आफलाईन ही सम्पादित किये जाने पर विचार तथा यू0 जी0 सी0 के पत्र दिनांक 04 मई, 2022 पर विचार। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित<br>कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अपने पूर्व के आदेश द्वारा पी0 एच–डी0 की मौखिकी परीक्षा ऑनलाईन सम्पादित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नवीन आदेश प्राप्त होने पर पी0 एच–डी0 की मौखिकी परीक्षा ऑनलाईन/ऑफलाईन की जा सकती है। इस सन्दर्भ में सूच्य है कि कोविड नियमों के अन्तर्गत 30 जून, 2022 तक विशेष छूट भी दी गयी है। आर0 डी0 सी0 ऑनलाईन तथा ऑफलाईन विशेषज्ञों की उपलब्धता तथा डी0 लिट0/डी0 एस–सी0 मौखिकी ऑफलाईन ही सम्पादित होंगे तथा मौखिकी परीक्षा हेतु 04 मई, 2022 का पालन होगा। |
| मद सं0 7 | पी0 एच–डी0 प्रवेश परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक के मानदेय को रू0 2,000.00 तथा कक्ष निरीक्षक का मानदेय रू0 500.00 किये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | पी.एच. डी. प्रवेश परीक्षा हेतु दिये जाने वाले विभिन्न मानदेयों को वि.वि. की अन्य प्रवेश परीक्षाओं के समकक्ष बनाया जाये और उसी अनुसार वित्त समिति के अनुमोदन से मानदेय निर्धारित किये जाएं ।<br>पी0 एच–डी0 प्रवेश परीक्षा हेतु दिया जाने वाला मानदेय अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तुलना में काफी कम है अतः केन्द्राध्यक्ष तथा पर्यवेक्षक का मानदेय रू0 1,000.00 से बढ़ाकर रू0 2,000.00 तथा कक्ष निरीक्षक का मानदेय रू0 300.00 से बढ़ाकर रू0 500.00 किया जा सकता है। अनुमोदन की दशा में वित्त समिति/कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् उपरोक्त मानदेय में वृद्धि की जा सकती है। |
| मद सं0 08 | शोध खाते में उपलब्ध धनराशि में रू0 01 करोड़ की धनराशि सावधि खाते (Fixed Depsit) में जमा किये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | शोध सलाहकार समिति ने सहमति व्यक्त की है और यदि वित्त समिति इसे समीचीन समझे तो यह प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है ।<br>शोध खाते में रू0 01 करोड़ की धनराशि सावधि खाते (Fixed Depsit) में जमा की जा सकती है। उक्त सावधि जमा से प्राप्त धनराशि से प्राप्त ब्याज से सेमीनार इत्यादि आयोजित कराये जा सकते हैं। |
| मद सं0 09 | प्रत्येक संकाय में वर्ष 2022–23 में एक व्याख्यान आयोजित होगा जिसमें व्याख्याता विशेषज्ञ को मानदेय रू0 3000.00 एवं यात्रा भत्ता व दैनिक भत्ता तथा कंटीजेन्सी |

| | |
|---|---|
| | रू0 1,000.00 दी जायेगी। इस व्याख्यान का अनुमोदन पूर्व में माननीय कुलपति जी द्वारा किया जायेगा। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित |
| मद सं0 10 | डी0 लिट / डी0 एस–सी0 हेतु पंजीकरण शुल्क वर्तमान रू0 3,000.00 से बढ़ाकर 15,000.00 करने तथा पी0 एच–डी0 हेतु वर्तमान 3,000.00 से बढ़ाकर 5,000.00 करने, काउन्सिलिंग हेतु शुल्क 1,500.00 से बढ़ाकर रू0 2,000.00 से तथा पी0 एच–डी0 थीसिस जमा करने का शुल्क 15,000.00 से बढ़ाकर 20,000.00 करने। यह बढ़ोत्तरी वित्त समिति / कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात् लागू होगा। गाईड (शोध निर्देशक) बदलने पर वर्तमान शुल्क को 2,000.00 से बढ़ाकर 2,500.00 करने का अनुमोदन। |
| टिप्पणी | पी. एच. डी. से सम्बन्धित उपरोक्त शुल्कों में से किसी को बढ़ाने पर असहमति व्यक्त की गयी परंतु डी.लिट. हेतु शुल्क में इस प्रस्ताव के अनुसार वृद्धि की जा सकती है । तथा यह शुल्क रु. 3000 के स्थान पर रु. 5000 मात्र होगा । |
| मद सं0 11 | पेटैन्ट फाईल कर उसे शोधार्थी द्वारा प्राप्त करने पर रू0 10,000.00 प्रति पेटेन्ट दिया जायेगा। |
| टिप्पणी | पैटेंट फ़ाइलिंग शुल्क का 50% संगत संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर शोधार्थी दल को अग्रिम की रूप में दिया जा सकता है परंतु पैटेंट प्राप्ति के उपरांत कोई रशि दल को नहीं दी जायेगी । यह धनराशि अधिकतम रु.25,000 (पच्चीस हजार मात्र) होगी । इस हेतु वित्त समिति की अनुसंशा अपेक्षित है । |
| मद सं0 12 | प्रोजेक्ट (परियोजना) के ओवरहेड में 50 प्रतिशत प्रधान अन्वेषक को तथा 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय खाते में कार्पस फण्ड के रूप में जमा होंगे। जिसके ब्याज से छात्रवृत्ति एवं अन्य शोध क्रियाकलाप कराये जायेंगे। |
| टिप्पणी | परियोजना के ओवरहेड का 50% प्रधान अन्वेषक, 20% वि.वि., 20% सम्बंधित विभाग तथा 10% सम्बंधित कर्मचारी को मानदेय के रूप में दिया जायेगा। परियोजना के ओवरहेड का इस भांति बँटवारा वित्त समिति/ कार्यपरिषद् के अनुमोदन के पश्चात किया जायेगा । |
| मद सं0 13 | शोध प्रबन्ध (थीसिस) मूल्यांकन हेतु पी0 एच–डी0 हेतु वर्तमान मानदेय 2,000.00 से बढ़ाकर 2,500.00 करने तथा मौखिकी परीक्षा हेतु वर्तमान 1,000.00 को बढ़ाकर 2,000.00 करने एवं डी0 लिट0 / डी0एस–सी0 हेतु वर्तमान 2,500.00 को बढ़ाकर 3,000.00 करने तथा मौखिकी हेतु 1,500.00 को बढ़ाकर 2,500.00 करने का अनुमोदन। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित मूल्यांकन मानदेय में बढ़ोत्तरी को शोध सलाहकार समिति द्वारा यथा प्रस्तावित स्वीकृत कर लिया गया तथा यह भी संस्तुति दी गयी कि वि.वि. से बाहर के किसी भी परीक्षक/ विषय विशेषज्ञ के मानदेय बिल में से शिक्षक कल्याण कोष हेतु कोई राशि नहीं काटी जायेगी । उक्त प्रस्ताव वित्त समिति/ कार्यपरिषद् में संस्तुत होगा । |
| मद सं0 14 | पी0 एच–डी0 प्रवेश हेतु साक्षात्कार में मानदेय बाह्य विशेषज्ञों को 2,000.00 निहित है, किन्तु अन्य सदस्यों को यह देय नहीं है। अतः अन्य स्थानीय सदस्यों को भी रूपया 500 तथा काउन्सिलिंग हेतु विभागाध्यक्ष को वर्तमान 1,000.00 बढ़ाकर 1,500.00 करने तथा कर्मचारियों को पूर्व दर 750 को बढ़ाकर 1,000.00 तथा चतुर्थ श्रेणी |

| | |
|---|---|
| | कार्मिकों को 500 से बढ़ाकर 800 रूपया करने की संस्तुति। यह दरें बी0 एड0 परीक्षा की भाँति होंगी। |
| टिप्पणी | प्रस्ताव अस्वीकृत |
| मद सं0 15 | शोधार्थी के शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु शोध निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 01 माह के भीतर पैनल प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा परीक्षक नियुक्त किये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | प्रस्ताव स्वीकृत साथ ही यह संस्तुति दी गयी कि पैनल समय पर नहीं देने वाले शोध निर्देशक/ विभागाध्यक्ष को माननीय कुलपति कार्यालय द्वारा कारण बता नोटिस जारी किया जायेगा और इस नोटिस के जवाब से असंतुष्ट होने पर सम्बंधित शोध निर्देशक / विभागाध्यक्ष को अगले सत्र में नये शोध विद्यार्थी के आबंटन पर रोक लगाई जा सकती है ।<br>यदि वाह्य परीक्षक द्वारा रिपोर्ट देने में अनावश्यक देरी होती है तो उसे वि.वि. द्वारा 'डिबार' किया जा सकता है । |
| मद सं0 16 | एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात् कुमाऊँ विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी के शोध निर्देशक जोकि एस0 एस0 जे0 परिसर, विश्वविद्यालय के अधिकारिता क्षेत्र में स्थित परिसर/महाविद्यालयों/संस्थानों में कार्यरत् हैं के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विचार। |
| टिप्पणी | चूंकि शोध विद्यार्थियों के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है अतः प्रस्तावित सभी विद्यार्थी कु.वि.वि. के ही विद्यार्थी हैं और इस वि.वि. के नियमानुसार ही शोध कार्य करेंगे । |
| मद सं0 17 | विगत वर्ष की भाँति शोधार्थियों को सम्मानित किये जाने के सम्बन्ध में विचार। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित<br>विगत वर्ष शोधार्थियों को निम्नवत् सम्मानित किया गया –<br>क. प्रो0 डी0 डी0 पन्त सम्मान स्मृति – पेटेन्ट प्राप्त शोधार्थियों को। ख. प्रो0 के0 एस0 वाल्दिया सम्मान स्मृति – शोध पत्रिकाओं में 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact Factor) प्राप्त शोधार्थियों को। ग. प्रो0 डी0 एन0 अग्रवाल सम्मान स्मृति – यू–टयूब प्लैटफार्म में शिक्षण कार्य से सम्बन्धित चैनल में 01 हजार से अधिक सब्सक्राईबर प्राप्त प्राध्यापकों को। घ. प्रो0 वाई0 पी0 एस0 पांगती सम्मान स्मृति – जिन प्राध्यापकों/शोधार्थियों की पुस्तक प्रकाशित हुई हो।<br>दिनांक 01.11.2021 से 31.10.2022 तक के समय के आधार पर वर्ष 2022 हेतु तथा भविष्य में भी उपरोक्त सम्मान प्रदान किया जा सकता है। जिसमें एक प्रमाण पत्र एवं शॉल भेंट किया जायेगा। इस वर्ष 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि हेतु 2023 में सम्मानित किया जायेगा तथा यह प्रक्रिया भविष्य में भी रहेगी। |
| मद सं0 18 | शोध प्रबन्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा किये जाने के पश्चात् मौखिकी परीक्षा न्यूनतम 45 दिवसों के पश्चात् कराये जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | साधारण परिस्थितियों हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है । स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार शोध प्रबंध कु.वि.वि. में जमा करने के पश्चात पी.एच.डी. की मौखिकी परीक्षा न्यूनतम 45 दिनों के बाद आयोजित की जायेगी परंतु विद्यार्थी हित में उचित पाये जाने पर और जमा किये दस्तावेजों से संतुष्ट होने पर कुलपति महोदय इस समय सीमा में ढील दे सकते हैं । |
| मद सं0 19 | सिल्वर जुबली फैलोशिप में दी जाने वाली राशि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विचार। |

| | |
|---|---|
| टिप्पणी | चूंकि सिल्वर जुबली फ़ेलोशिप प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जाती है अतः इसकी राशि में वृद्धि विश्वविद्यालय स्तर पर संभव नहीं है ।इसकी राशि में बढ़ोत्तरी हेतु सन 2020 में शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था । यह समिति निर्णय लेती है 2020 के प्रस्ताव के अनुशरण हेतु शासन के साथ पत्रव्यवहार किया जायेगा । |
| मद सं0 20 | शोध अनुभाग में एक निदेशक, एक सह निदेशक तथा प्रत्येक संकाय से एक सहायक निदेशक होंगे, सहायक निदेशक का मानदेय रू0 800.00 प्रतिमाह होगा। |
| टिप्पणी | एक के स्थान पर तीन सह-निदेशक होंगे जिनका मानदेय रु.800 प्रतिमाह होगा और इस पर वित्त समिति की अनुमति अपेक्षित है । |
| मद सं0 21 | मौखिकी परीक्षा (Ph. D./D. Litt./D.Sc.) हेतु एक माह से अधिक समय हो जाने पर शोधार्थी के आवेदन पर विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष अथवा माननीय कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य द्वारा मौखिकी परीक्षा शीघ्र पूर्ण करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के उक्त दिन अवकाश पर होने पर कार्यवाहक विभागाध्यक्ष मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायें। |
| टिप्पणी | समिति निर्णय लेती है कि प्रस्तावित मौखिकी परीक्षा हेतु शोध निर्देशक/ आंतरिक परीक्षक सम्बंधित विभागाध्यक्ष की सहमति से दिनांक तय करेगा। यदि सम्बंधित विभागाध्यक्ष इस कार्य में सहयोग नहीं करते तो शोध निर्देशक की आख्या पर शोध एवं विकास प्रकोष्ठ उचित निर्णय लेगा । तय दिनांक पर नियमित विभागाध्यक्ष के अवकाश पर होने की दशा में मौखिकी परीक्षा कार्यवाहक विभागाध्यक्ष द्वारा सम्पन्न करायी जायेगी । |
| मद सं0 22 | शोध प्रवेश में आरक्षण प्रक्रिया स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश की भाँति विषयवार लागू रहेगा तथा विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रवेश नियम लागू होंगे। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की भाँति आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में उसे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से भरे जाने पर विचार। |
| टिप्पणी | शोध सलाहकार समिति ने उपरोक्त मद सं.22 पर विचार करते हुये स्पष्ट किया कि पी.एच डी. प्रवेश परीक्षा में आरक्षण उत्तराखंड राज्य के आरक्षण नियमों के अनुसार देय होगा ।<br>शोध प्रवेश परीक्षा में आरक्षण विषयवार उपलब्ध सीट पर लगाया जायेगा । परंतु शोध प्रवेश को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है । साथ ही ऊर्ध्व आरक्षित पदों के सामान्य श्रेणी में विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है अतः अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में इन सभी वर्गों हेतु आरक्षित की सीटों को रिक्त छोड़ दिया जायेगा और किसी सीट को किसी भी दशा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से नहीं भरा जायेगा । हॉलाकि शोध सलाहकार समिति यह व्यवस्था करती है कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर क्षैतिज आरक्षण की रिक्त सीटों को संगत श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है । |
| मद सं0 23 | शोध प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग एक बार में ही सम्पन्न होगी तथा पहली काउन्सिलिंग में रिक्त सीटों पर ही द्वितीय काउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी। एक प्रवेश परीक्षा में दो बार रिक्त सीटें नहीं मांगी जायेगी। रिक्त सीटों की संख्या पोर्टल के माध्यम से मांगी जायेगी तथा आवंटित शोधार्थी को ना लेने पर प्राध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी तथा उन्हें शोध छात्र आवंटन से तीन वर्षों हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। RDET परीक्षा की निरन्तरता हेतु एक काउन्सिलिंग में अधिकतम 02 शोधार्थी ही एक प्राध्यापक को आवंटित होंगे। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित। |

| | |
|---|---|
| मद सं0 24 | जो शोधार्थी अपने शोध निर्देशक से एन0 ओ0 सी0 चाहते हैं किन्तु शोध निर्देशक ऐसा करने से मना कर रहे हैं तो उन्हें विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के आदेश पर यह एन0 ओ0 सी0 दिया जायेगा। यदि शोध निर्देशक विभागाध्यक्ष भी हैं तो संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा। |
| टिप्पणी | यदि शोधार्थी अपने शोध निर्देशक से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहते हैं परंतु शोध निर्देशक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही कर रहे हैं तो ऐसे शोध निर्देशकों से स्पष्टीकरण लिया जायेगा तथा इन मामलों में सम्बंधित विषय की शोध समिति के में निर्णय होगा । |
| मद सं0 25 | केवल 2014 के महिला शोधार्थी तथा 2016 के पुरूष शोधार्थी ही अपने शोध कार्य समय सीमा विस्तारण हेतु इस वर्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित |
| मद सं0 26 | पी0 एच–डी0 प्रवेश में जे0 आर0 एफ0 एवं नैट तथा इंस्पायर फैलो को प्रवेश में वरीयता देने के सन्दर्भ में कोटा निर्धारित करने तथा इन अभ्यर्थियों की मैरिट अलग से बनाने का अनुमोदन। अन्य किसी भी फैलाशिप धारी शोधार्थी को यह लाभ नहीं मिलेगा। |
| टिप्पणी | पी.एच.डी. प्रवेश में जे.आर.एफ़., इंस्पायर फ़ेलो को अलग से कोई वरीयता नहीं दी जायेगी । और इस परीक्षा हेतु यू. जी. सी. के प्रवेश नियम लागू होंगे । |
| मद सं0 27 | शोध प्रबन्ध जमा करने पर दो शोध पत्र प्रकाशित होने अनिवार्य हैं जिनका ISSN नम्बर होना जरूरी है वर्ष 2021 में प्रवेशित शोधार्थियों को अपने दो पेपर UGC Care List/Scopus/ Web of Science में होना जरूरी है। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित |
| मद सं0 28 | ऐसे शोधार्थी जिन्हें 08/06 वर्ष इस वर्ष पूर्ण हो चुके एवं एक वर्ष सेवा विस्तार एवं पुनः पंजीकरण पूर्ण कर लिया है तथा कोविड में समय सीमा की छूट चाहते हैं इस सन्दर्भ में गठित समिति ने उन्हें 2022 तक Pre-Submission एवं शोध प्रबन्ध जमा करने की छूट दी है वे 30 जून, 2022 तक शोध प्रबन्ध जमा कर सकते हैं, का अनुमोदन। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित<br>गठित समिति की रिपोर्ट का यू.जी.सी. नियमानुसार अनुमोदन। |
| मद सं0 29 | प्री पी0 एच–डी0 कोर्स वर्क में प्रत्येक संकाय में प्रथम प्रश्न पत्र के अन्तर्गत Ethics in Research अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायेगा। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित |
| मद सं0 30 | पी0 एच–डी0/डी0 लिट/डी0 एस–सी0 के शोधार्थी विश्वविद्यालय के परिसर/सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश अनिवार्य रूप से लेंगे। डी0 लिट/डी0 एस–सी0 हेतु केवल परिसर में ही प्रवेश लेना होगा। इस सभी शोधार्थियों को चूंकि आर्डिनेन्स के मुताबिक 200 दिन की उपस्थिति पंजीकरण से देनी होती है, इस उपस्थिति हेतु शोधार्थी को विभाग की पंजीका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा पंजिका की छायाप्रति शोध निर्देशक/ विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निर्देशक अथवा प्राचार्य से अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर अलग से जमा करेंगे। एम0 |

| | |
|---|---|
| | ओ0 यू0 के सम्बद्ध महाविद्यालय के शोधार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान से यह प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित |
| मद सं0 31 | शोधार्थी अपना पेपर प्रकाशन से पूर्व प्लेजेरिज्म रिपोर्ट आवश्यक रूप से प्राप्त करे तथा इस सन्दर्भ में यू0 जी0 सी0 के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करे। |
| टिप्पणी | अनुमोदित.<br>शोध रूप रेखा (synopsis) भी जमा करने से पूर्व प्लैजेरिज्म हेतु चेक की जायेगी । शोध प्रबंध की प्लैजेरिज्म रिपोर्ट शोध प्रबंध के अंत में लगानी होगी । |
| मद सं0 32 | पी0 एच–डी0 / डी0 लिट0 / डी0 एस–सी0 के शोध प्रबन्ध की रिपोर्ट सकारात्मक आने तथा मौखिकी–परीक्षा की नकारात्मक रिपोर्ट आने पर समिति गठित कर जाँच करायी जायेगी तथा विशेषज्ञों का मानदेय, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता जाँच पूरी होने तक नहीं दिया जायेगा। आर्डिनेन्स के मुताबिक शोधार्थी के प्रत्यावेदन तथा शुल्क जमा कर 06 माह बाद दोबारा दूसरे पैनल विशेषज्ञों से मौखिकी परीक्षा करायी जायेगी। |
| टिप्पणी | अनुमोदित ।<br>माननीय कुलपति अथवा उनके नामित की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा जिसमें सम्बंधित विषय के विशेषज्ञ भी शमिल होंगे, जो कि प्रस्तावित केस में दोबारा मौखिकी परीक्षा करायेगी और इसे ही अंतिम माना जायेगा । सभी सदस्यों की नियुक्ति माननीय कुलपति करेंगे । |
| मद सं0 33 | शोध सलाहकार समिति एक अकादमिक समिति है अतः उक्त समिति के पुर्नगठन के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है। कुलपति / कुलसचिव / वित्त अधिकारी / सम्बन्धित संकायाध्यक्ष जिनमें शोध कार्य अनुमन्य हैं / परिसर निदेशक / 02 कार्यपरिषद् सदस्य / 02 निदेशक / शोध निर्देशक / 01 संयुक्त निदेशक, शोध / 01 सहायक निदेशक / 01 प्राध्यापक / 01 सह प्राध्यापक / 01 सहायक प्राध्यापक / सूचना वैज्ञानिक / 02 शोध छात्र (पुरूष / महिला)। |
| टिप्पणी | शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर लिय गया है और शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है । |
| मद सं0 34 | शोध छात्र गिरीश चन्द्र, भौतिकी द्वारा अर्नगल पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं। अतः उनकी सभी फाईलें बन्द की जाती हैं। |
| टिप्पणी | प्रस्ताव अनुमोदित । |
| मद सं0 35 | एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण हेतु 05 करोड़ का प्रस्ताव रूसा के माध्यम से सरकार को भेजा जाय तथा भीमताल में इसका निर्माण कराया जाय तथा जिन विभागों के पास बड़े उपकरण (Equipment) है उन्हें वहा स्थानान्तरित कर दिया जाय एवं Sample Test करने हेतु शुल्क निर्धारित किया जाय। |
| टिप्पणी | एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण हेतु भीमताल/ डी. एस. बी./ वि.वि. में भूमि/ स्थान हेतु चिन्हित किये गये हैं । साथ ही, उक्त प्रयोगशाला के निर्माण हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत डी.एस. टी. पर्स प्रोग्राम एवं शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया । |
| मद सं0 36 | इन्फ्रा स्ट्रक्चर वृद्धि हेतु डी0 एस0 बी0 के कक्ष सं0 18 तथा विश्वविद्यालय के 02 कक्षों को सूचना तकनीक से सुशोभित किया जायेगा। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित। |

| | |
|---|---|
| मद सं0 37 | एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा द्वारा विधि संकाय के 07 शोधार्थियों की आर0 डी0 सी0 कराने के सन्दर्भ में विचार। उक्त सभी छात्र कुमाऊँ विश्वविद्यालय में पंजीकृत हैं किन्तु बगैर कोई पत्राचार के अल्मोड़ा विश्वविद्यालय द्वारा इनकी शोध डिग्री समिति (R. D. C.) की बैठक दिनांक 07.04.2022 को करा दी गयी है। |
| टिप्पणी | छात्रहित में एस.एस. जे. परिसर अल्मोड़ा के उक्त ०७ शोधार्थियों को एस.एस. जे. वि.वि. में अपना पंजीयन कराने और कु.वि.वि. में पंजीयन निरस्त करने हेतु पत्राचार करने की सलाह दी जायेगी। |
| मद सं0 38 | एस0 आर0 आई0 सी0 सी0 का नाम यू0 जी0 सी0 के पत्रानुसार शोध एवं विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell) |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित। |
| मद सं0 39 | यू0 जी0 सी0 नियमानुसार कोविड छूट हेतु शोध जमा करने की छूट दिनांक 31.12.2022 करने सम्बन्धी |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित।<br>यू0 जी0 सी0 काविड–19 में 2022 जुलाई से 31 दिसम्बर, 2022 में (छः माह विस्तरण) तीन अभ्यर्थी लक्ष्मण सिंह, मनोज कुमार (भू–गर्भ विज्ञान) तथा कैलाश टम्टा (रसायन विज्ञान) में छूट प्रदान करने के विषयक में विचार करने के पश्चात् आवश्यक Emergent online RDC में प्रस्तुतीकरण के पश्चात् कुलपति जी की अनुमति से प्रदान किया जायेगा। इस सन्दर्भ में ऑनलाईन त्क्ब आयोजित की जा सकती है। |
| मद सं0 40 | **Ph. D. Pre-Submission हेतु विभागाध्यक्ष निम्नांकित पत्रजात (Document) प्राप्त होने पर प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायें।**<br>1. पी0 एच–डी0 प्रवेश हेतु Admit Card, Fee Slip, 06 माह कोर्स की अंकतालिका।<br>2. आर0 डी0 सी0 पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधित है तत्कालीन विभागाध्यक्ष की रूपरेखा पर संस्तुति (Revised Synopsis Approved)।<br>3. दो प्रकाशित शोध पत्र।<br>4. दो सेमीनार में अपने शोध का प्रस्तुतिकरण प्रमाण पत्र।<br>5. प्लेजेरिजम प्रमाण पत्र (10 प्रतिशत से कम)<br>6. 02 विभागीय Annual Review प्रमाण पत्र।<br>7. उपस्थिति प्रमाण पत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बाद पूर्ण की है तथा इस हेतु विभाग की पंजिका की छायाप्रति जिसे विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है। एम0 ओ0 यू0 संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे।<br><br>**डी0 लिट / डी0 एस–सी0 हेतु Pre- submission के लिये आवश्यक पत्रजात –**<br>1. शोध प्रबन्ध की स्पाईरल कॉपी, डी0 एस–सी0, डी0 लिट0 हेतु आवश्यक पत्रजात।<br>2. प्रवेश हेतु एडमिट कार्ड / फीस स्लिप।<br>3. आर0 डी0 सी0 पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधित है तो तत्कालीन विभागाध्यक्ष द्वारा संस्तुति (Revised Synopsis Approved)।<br>4. तीन प्रकाशित शोध पत्र।<br>5. प्लेजरिज्म प्रमाण पत्र (10 प्रतिशत से कम) |

| | |
|---|---|
| | 6. उपस्थिति प्रमाण पत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बाद पूर्ण की है तथा इस हेतु सम्बन्धित विभाग की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति जिसमें विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। एम0 ओ0 यू0 संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे। |
| टिप्पणी | निम्नलिखित संशोधन के अनुमोदित:<br>बिंदु सं. 5. में, शोध प्रबंध जमा करते समय प्लेजेरिज्म 10% से कम होने का प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा ।<br>मद सं. 40 में प्रस्तावित अन्य बिंदु बिना किसी सुधार के स्वीकृत किये जाते हैं । |
| मद सं0 41 | शोधार्थी के समस्त दस्तावेज डिजिटाईज किये जायेंगे। |
| टिप्पणी | विगत वर्षों में हुए शोध अधिसूचनाओं के हार्ड-बाउंड दस्तावेज रूप जो कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं, को शीघ्र डिजिटाइज किया जाएगा।<br>शोधार्थी के समस्त दस्तावेज डिजिटाइज किये जायेंगे और पी.एच.डी. डिग्री से सम्बंधित समस्त डिजिटाइजेशन बैकलॉग प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जायेगा । |
| मद सं0 42 | विगत वर्षों की भाँति शोध अनुभाग के कार्मिकों को 100 रूपये प्रति प्रवेशित शोधार्थी मानदेय दिया जायेगा। |
| टिप्पणी | प्रस्तावित रूप में अनुमोदित। |
| मद सं0 43 | वर्ष 2022 में प्रबन्ध अध्ययन विभाग में प्रवेशित 05 शोधार्थियों को शोध निदेशक आवंटित किये जाने के सन्दर्भ में। |
| टिप्पणी | वर्ष 2022 में प्रबंध अध्ययन में प्रवेशित 05 शोधार्थियों के सम्बंध में निर्णय लिया गया कि:<br>04 विद्यार्थी प्रो. प्रदीप जोशी को एवं 01 विद्यार्थी डा. एल.के सिंह अथवा प्रो. अमित जोशी को आबंटित किया जायेगा । |
| मद सं0 44 | कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं वन अनुसन्धान केन्द्र, हल्द्वानी के मध्य हुए एम.ओ. यू. का अनुमोदन। |
| टिप्पणी | कु.वि.वि. एवं वन अनुसन्धान केन्द्र हल्द्वानी के मध्य हुए एम.ओ.यू अनुमोदित कुलपति महोदय की अनुशंसा तथा कार्य परिषद अनुमोदन के बाद लागू होगा । |
| मद सं0 45 | अन्य बिन्दु माननीय कुलपति जी की अनुमति से। |
| टिप्पणी | के.यू.आइ.आइ.सी. को विद्यार्थियों के स्टार्ट-अप्स एवं नवाचार हेतु शोध एवं विकास प्रकोष्ठ से रु.300000/- (तीन लाख रुपये मात्र) स्वीकृत किये जाते हैं । इस धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जा सकता है । |
| मद सं0 46 | माननीय कुलपति का सम्बोधन :<br>माननीय कुलपति ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विश्व विद्यालय में एक नवाचार परिषद स्थापित करने का प्रस्ताव रखा । इस परिषद में सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, शोध एवं विकास प्रकोष्ठ के निदेशक, निदेशक, डी.आइ.सी., निदेशक, के. यू. आइ.आइ.सी. एवं परिसर निदेशक शामिल होंगे । निदेशक, के. यू. आइ.आइ.सी. इस परिषद के पदेन सचिव होंगे । यह परिषद वि.वि. में नवाचारी प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिये समर्पित रहेगी । इस परिषद की बैठक प्रत्येक 03 माह में एक बार अवश्य आयोजित की जायेगी । इस परिषद को नवाचारी प्रकल्प एवं विद्यार्थियों के स्टार्ट-अप हेतु बजट आबंटित किया जायेगा ।<br>इसके अतिरिक्त माननीय कुलपति ने अपने सम्बोधन में विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा नवाचार एवं शोध हेतु बजट आबंटन का जिक्र करते हुये कहा कि शोध एवं विकास प्रकोष्ठ को यह सुनिश्चित |

| | |
|---|---|
| | करना होगा कि विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण पठन-पाठन के साथ-साथ शोध प्रकल्प एवं पैटेंट फ़ाइलिंग पर भी समुचित ध्यान दें और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाएं । |

दिनांक: 25.08.2022

निदेशक,
शोध एवं विकास प्रकोष्ठ

27/9/2022

कुमाऊँ विश्वविद्यालय,नैनीताल–263001(उत्तराखण्ड)
KUMAUN UNIVERSITY, NAINITAL-263001 (UTTARAKHAND)
Research & Development Cell(RDC)
Office: 05942-235213, Fax: 05942 -235213, E-mail: sriccku@gmail.com

पत्रांक केयू/आर0डी0सी0/2023/271 दिनांक 10–4–2023

सेवा में,

1– परिसर निदेशक, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।

2– संकायाध्यक्ष, कला, विज्ञान/वाणिज्य/प्रबन्धन/भेषज/कृषि/बायो साइंस संकाय, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।

3 समस्त विभागाध्यक्ष, डी0एस0बी0 परिसर, नैनीताल/जे0सी0 बोस परिसर, भीमताल, नैनीताल।

4– प्राचार्य, (संबद्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल)

राजकीय स्नात0 महाविद्यालय

_______________________________

विषय : विश्वविद्यालय के आर0डी0सी0 अनुभाग में शोध सम्बन्धी लिये गये (शोध सलाहकार समित एवं कार्य परिषद अनुमोदित) निर्णय।

महोदय,

विश्वविद्यालय के आर0डी0सी0 अनुभाग में शोध सम्बन्धी लिये गये (शोध सलाहकार समित एवं कार्य परिषद दिनांक 10.02.2023) में लिये गये निम्नलिखित निर्णय को आर0डी0सी0 अनुभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा लागू किया जा रहा है।

| कम सं0 | मद | आर0डी0सी0 अनुभाग के अनुमोदित प्रस्ताव |
|---|---|---|
| 1 | मद सं0 3 | प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र (1,2,3) में शोधार्थियों की पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी |
| 2 | मद सं0 4 | प्री0 पी0 एच–डी0 कोर्स वर्क की परीक्षा में रसायन विज्ञान विभाग द्वारा द्वितीय के संदर्भ में निर्णय लिया गया कि Recent Advance in Subject रहेगा तथा विकल्प उपलब्ध नही रहेगें। |
| 3 | मद सं0 5 | वर्ष 2022 से शोध कार्य हेतु 62 वर्ष की आयु पार कर चुके प्राध्यापकों को शोधार्थी आवंटित नहीं किये जायेंगे। यू0जीसी0 के नियम 7 नवम्बर, 2022 के तहत इसे लागू किया जा रहा है। इसका अनुपालन का दायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संयोजक का होगा तथा इसका निगरानी शोध एवं विकास प्रकोष्ट द्वारा की जायेगी। |
| 4 | मद सं0 6 | पी0 एच–डी0 की मौखिकी परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आदशों (04 मई, 2022) के अनुपालन में ऑनलाईन/आफ लाईन ही सम्पादित की जायेगी। डी0लिट0 एवं डीएस0 सी0 मौखिकी ऑफ लाईन सम्पादित की जायेगी। |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | मद सं0 15 | शोधार्थी के शोध प्रबन्ध मूल्यांकन हेतु शोध निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष द्वारा 01 माह के भीतर पेनल प्रस्तुत नहीं किये जाने की दशा में मा0 कुलपति जी द्वारा परीक्षक नियुक्त किये जायेगें पेनल न देने की स्थिति में शोध निर्देशक एवं विभागाध्यक्ष को अगले सत्र में नये शोध अभ्यर्थी का आवंटन नही किया जायेगा। साथ ही बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन आख्या समय सीमा पर न दिये जाने की स्थिति में उसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिबंधित किया जायेगा। |
| 6 | मद सं0 16 | एस0 एस0 जे0 परिसर, अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के गठन के पश्चात् कुमाऊँ विश्वविद्यालय में पंजीकृत शोधार्थी के शोध निर्देशक जो कि एस0 एस0 जे0 विश्वविद्यालय, अल्मोडा के अधिकारिता क्षेत्र में स्थित परिसर/ महाविद्यालयों/संस्थानो में कार्यरत हैं उनके शोधार्थियों को यदि स्थानान्तरण आवश्यक है उन्हें कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल के शोध निर्देशक के साथ ही आवंटित किया जायेगा। |
| 7 | मद सं0 17 | विगत वर्ष की भाँति शोधार्थियों को सम्मानित किया जायेगा।<br>(क) प्रो0 डी0 डी0 पन्त सम्मान स्मृति–पेटेन्ट प्राप्त शोधार्थियों को (ख) प्रो0 के0 एस0 वाल्दिया सम्मान स्मृति–शोध पत्रिकाओंमें 10 से अधिक प्रभाव कारक (Impact Factor) प्राप्त शोधार्थियों को (ग) प्रो0 डी0 एन0 अग्रवालसम्मानस्मृति– यू–टयूबप्लैटफार्म में शिक्षण कार्य से सम्बन्धित चैनल में 01 हजार से अधिक सब्सक्राईबर प्राप्त प्राध्यापकों को (घ) प्रो0 वाई0 पी0 एस0 पांगती सम्मान स्मृति–जिन प्राध्यापकों/शोधार्थियों की पुस्तक प्रकाशित हुई हो, यह सम्मान वर्ष 2022 हेतु तथा भविष्य में भी उपरोक्त सम्मान प्रदान वाषिक आधार पर देय होंगे जिसमें एक प्रमाणपत्र एवं शॉल भेंट किया जायेगा। इस वर्ष 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022 तक की अवधि हेतु शोधार्थियों को सम्मानित किया जायेगा तथा यह प्रक्रिया भविष्य में भी रहेगी। |
| 8 | मद सं0 18 | शोध प्रबन्ध कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल में जमा किये जाने के पश्चात् मौखिकी परीक्षा न्यूनतम 45 दिवसों के पश्चात् ही कराई जायेगी। |
| 9 | मद सं0 21 | मौखिकी परीक्षा (Ph. D./D. Litt./D.Sc.) हेतु एक माह से अधिक समय हो जाने पर शोधार्थी के आवेदन पर विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अथवा माननीय कुलपति जी द्वारा नामित सदस्य द्वारा मौखिकी परीक्षा शीघ्र पूर्ण करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के उक्त मौखिकी परीक्षा के दिन अवकाश पर होन पर कार्यवाहक विभागाध्यक्ष द्वारा मौखिकी परीक्षा सम्पन्न करायें। |
| 10 | मद सं0 22 | पी.एच डी. R.D.E.T प्रवेश परीक्षा में आरक्षण उत्तराखंड राज्य के आरक्षण नियमों के (RDET) अनुसार देय होगा ।<br>शोध प्रवेश परीक्षा में आरक्षण विषयवार उपलब्ध सीट पर लगाया जायेगा । परंतु शोध प्रवेश को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के समकक्ष नहीं रखा जा सकता है । साथ ही ऊर्ध्व आरक्षित पदों के सामान्य श्रेणी में विनिमय का कोई प्रावधान नहीं है अतः अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी अनुपलब्ध होने की दशा में इन सभी वर्गों हेतु आरक्षित की सीटों को रिक्त छोड़ दिया जायेगा और किसी सीट को किसी भी दशा में सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से नहीं भरा जायेगा । हाँलाकि शोध सलाहकार समिति यह व्यवस्था करती है कि अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पर क्षैतिज आरक्षण की रिक्त सीटों को संगतश्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जा सकता है । |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | मद सं0 23 | शोध प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग एक बार में ही सम्पन्न होगी तथा पहली काउन्सिलिंग में रिक्त सीटों पर ही द्वितीय काउन्सिलिंग आयोजित की जायेगी। एक प्रवेश परीक्षा में दो बार रिक्त सीटें नहीं मांगी जायेगी। रिक्त सीटों की संख्या पोर्टल के माध्यम से मांगी जायेगी तथा आवंटित शोधार्थी को ना लेने पर प्राध्यापक पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जायेगी तथा उन्हें शोध छात्र आवंटन से तीन वर्षों हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा। RDETपरीक्षा की निरन्तरता हेतु एक काउन्सिलिंग में अधिकतम 02 शोधार्थी ही एक प्राध्यापक को आवंटित होंगे। |
| 12 | मद सं0 24 | जो शोधार्थी अपने शोध निर्देशक से एन0 ओ0 सी0 चाहते हैं किन्तु शोध निर्देशक ऐसा शोध निर्देशक बदला जायेगा। करने से मना कर रहे हैं तो उन्हें विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी के आदेश पर यह एन0 ओ0 सी0 दिया जायेगा। यदि शोध निर्देशक, विभागाध्यक्ष भी हैं तो संकायाध्यक्ष की संस्तुति पर माननीय कुलपति जी का निर्णय अन्तिम होगा। |
| 13 | मद सं0 25 | केवल 2014 के महिला शोधार्थी तथा 2016 के पुरूष शोधार्थी ही अपने शोध कार्य सीमा विस्तारण हेतु इस वर्ष प्रार्थना पत्र प्रेषित करें। |
| 14 | मद सं0 26 | २६. पी.एच.डी. प्रवेश में जे.आर.एफ़., इंस्पायर फ़ेलो को अलग से कोई वरीयता नहीं दी जायेगी । पिछली वर्ष की भाँति उन्हें प्रवेश परीक्षा से छूट दी जा सकती है परंतु अन्य परीक्षार्थियों के समकक्ष लाने हेतु इन अभ्यर्थियों को पिछली पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के नियम लगाये जायेंगे । |
| 15 | मद सं0 27 | शोध प्रबन्ध जमा करने पर दो शोध पत्र प्रकाशित होने अनिवार्य है जिनका ISSN नम्बर होना जरूरी है वर्ष 2021 मे प्रवेशित शोधार्थियो को अपने दो पेपर UGC Care List/Scopus/ Web of Science में होना जरूरी है। |
| 16 | मद सं0 28 | यू0जी0सी0 नियामनुसार कोविड में समय सीमा का विस्तरण की छूट चाहते है का अनुमोदन किया गया। |
| 17 | मद सं0 29 | प्री पी0 एच–डी0 कोर्स वर्क में प्रत्येक संकाय में प्रथम प्रश्न पत्र के अन्तर्गत Ethics पर Research अनिवार्य रूप से पढ़ाया जायेगा। |
| 18 | मद सं0 30 | पी0 एच–डी0 / डी0 लिट / डी0 एस–सी0 के शोधाथी 'विश्वविद्यालय के परिसर / सम्बद्ध महाविद्यालय में प्रवेश अनिवार्य रूप से लेंगे। डी0 लिट / डी0 एस–सी0 हेतु केवल कुमाऊँ विश्वविद्यालय के परिसर मे प्रवेश लेना होगा। इस सभी शोधार्थियो को चूंकि आर्डिनेन्स के मुताबिक 200 दिन की उपस्थिति पंजीकरण से देनी होती है, इस उपस्थिति हेतु शोधार्थी को विभाग की पंजीका में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा तथा पंजिका की छायाप्रति शोध निर्देशक / विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निर्देशक अथवा प्राचार्य से अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर कर प्रमाणित कर अलग से जमा करेंगे। एम0 ओ0 यू0 के सम्बद्ध महाविद्यालय के शोधार्थी सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान से यह प्रक्रिया सम्पन्न करेंगे। यह अनिवार्य विषय होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | मद सं0 31 | शोधार्थी अपना पेपर प्रकाशन से पूर्व Plagarism प्रमाण पत्र (प्लेजेरिज्म रिपोर्ट) आवश्यक रूप से प्राप्त करे तथा इस सन्दर्भ में यू0 जी0 सी0 के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से होगा। शोध रूपरेखा भी जमा करने से पूर्व प्लेजेरिज्म रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होगा। |
| 20 | मद स0 32 | पी0 –एचडी0 / डी0 लिट0 / डी0 एस–सी0 के शोध प्रबन्ध की रिपोर्ट सकारात्मक आने तथा मौखिकी–परीक्षा की नकारात्मक रिपोर्ट आने पर समिति गठितकर जाँच करायी जायेगी तथा विशेषज्ञों का मानदेय, दैनिक भत्ता व यात्रा भत्ता जाँच पूरी होने तक नही दिया जायेगा। शोध अध्यादेश के मुताबिक शोधार्थी के प्रत्यावेदन तथा शुल्क जमाकर 06 माह बाद दोबार दूसरे पैनल विशेषज्ञों से मौखिकी परीक्षा करायी जायेगी। |
| 21 | मद स0 33 | शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर लिय गया है और शोध सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया है। |
| 22 | मद सं0 34 | शोध छात्र गिरीश चन्द्र, भौतिकी द्वारा अर्नगल पत्र प्रेषित किये जा रहा हैं। अतः उनकी समस्त फाईलें बन्द की जाती हैं। |
| | मद स0 35 | एक केन्द्रीय प्रयोगशाला के निर्माण हेतु भीमताल/ डी. एस. बी./ वि.वि. में भूमि/ स्थान हेतु चिन्हित किया जानाहैं । साथ ही, उक्त प्रयोगशाला के निर्माण हेतु नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया । |
| | मद सं0 36 | इन्फास्ट्रक्चरवृद्धि हेतु डी0 एस0 बी0 के कक्ष सं0 18 तथा विश्वविद्यालय के 02 कक्षों को सूचना तकनीक से सुशोभित किया जायेगा। |

| | | |
|---|---|---|
| 23 | मद सं0 38 | एस0 आर0 आई0 सी0 सी0 का नाम यू0 जी0 सी0 के पत्रानुसार शोध एव विकास प्रकोष्ठ (Research & Development Cell) किया गया। |
| 24 | मद स0 39 | यू0 जी0 सी0 नियमानुसार कोविड छूट में शोध जमाकरने की छूट दिनांक 31.12. 2022 करने सम्बन्धी पत्र का अनुमोदन हुआ। |

| | | |
|---|---|---|
| 25 | मद सं0 40 | **Ph. D. Pre-Submission** हेतु विभागाध्यक्ष निम्नांकित पत्रजात (Document) प्राप्त होने पर प्रस्तुतीकरण सम्पन्न करायें।<br>1. पी0 एच–डी0 प्रवेशहेतु Admit Card, Fee Slip, 06 माहकोर्स की अंकतालिका।<br>2. आर0 डी0 सी0 पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधितहै तत्कालीन विभागाध्यक्ष की रूपरेखा पर संस्तुति (Revised Synopsis Approved)।<br>3. दो प्रकाशित शोध पत्र।<br>4. दो सेमीनार में अपने शोध का प्रस्तुतिकरण प्रमाणपत्र।<br>5. प्लेजेरिजम प्रमाण पत्र (10 प्रतिशत से कम)<br>6. 02विभागीयAnnual Reviewप्रमाणपत्र।<br>7. उपस्थिति प्रमाण पत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बाद पूर्ण की है तथा इस हेतु विभाग कीपंजिका की छायाप्रति जिसे विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया है। एम0 ओ0 यू0 संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे।<br>8. शोध प्रबन्ध की स्पाई रल कॉपी<br>डी0 लिट / डी0 एस–सी0 हेतु **Pre- submission** के लियेआवश्यक पत्रजात–<br>1. शोध प्रबन्ध की स्पाई रल कॉपी, डी0 एस–सी0, / डी0 लिट0 हेतु आवश्यक पत्रजात।<br>2. प्रवेश हेतु एडमिट कार्ड / फीस स्लिप। |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. आर0 डी0 सी0 पंजीकरण का पत्र, शोध प्रबन्ध रूपरेखा यदि संशोधित है तो तत्कालीन विभागाध्यक्ष की रूपरेखा या संस्तुति (Revised Synopsis Approved)।<br>4. तीन प्रकाशित शोध पत्र।<br>5. प्लेजरिज्म प्रमाणपत्र (10 प्रतिशत से कम)<br>6. उपस्थिति प्रमाणपत्र कि 200 दिन पंजीकरण के बादपूर्ण की है तथा इस हेतु सम्बन्धित विभाग की उपस्थिति पंजिका की छायाप्रति जिस में विभागाध्यक्ष / संकायाध्यक्ष / निदेशक / प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। एम0 ओ0 यू0 संस्थान भी इसी क्रम में उपस्थिति देंगे। |
| **26** | मद सं0 41 | शोधार्थी के समस्त दस्तावेज डिजिटा ईज किये जायेंगे। |
| | मद सं0 43 | वर्ष 2022 में प्रबंध अध्ययन में प्रवेशित 05 शोधार्थियों के सम्बंध में निर्णय लिया गया कि: 04 विद्यार्थी प्रो. प्रदीप जोशी को एवं 01 विद्यार्थी डा. एल.के सिंह अथवा प्रो. अमित जोशी को आबंटित किया जायेगा। |
| **27** | मद सं0 44 | कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल एवं वन अनुसन्धान केन्द्र, हल्द्वानी के मध्य हुए एम.ओ. यू. का अनुमोदन किया जायेगा। |

कृपया उक्त लिये गये निर्णय को अपने /परिसर / महाविद्यालय मे अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें। ताकि सम्बन्धित शोध निर्देशक एवं शोधर्थियों को सूचना से अवगत हो सकें तथा ये सभी निर्णय आज की दिनांक 10.04.2023 से लागू माने जायेगें।

भवदीय

कुलसचि

कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

Director